सड़क हादसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने दिए कई सुझाव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 सितंबर।

राजधानी में बढ़ते सड़क हादसों को कम करने के लिए सड़क डिजाइन से जुड़े हितधारकों को दिल्ली पुलिस ने कुछ अहम सुझाव दिए हैं। इनमें फुटपाथ से अतिक्रमण हटाना, अलग बस स्टैंड और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े वाहनों के रुकने के लिए अलग से जगह की व्यवस्था करना शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की ओर से शुक्रवार को जारी दिल्ली सड़क दुर्घटना मृत्यु रिपोर्ट 2021 के मुताबिक राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं में पैदल यात्रियों के लिए लगातार सर्वाधिक खतरा रहा है और पिछले साल यहां हुई सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों में लगभग 41 फीसद पैदल यात्री थे।

दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने कहा कि रिपोर्ट में पिछले साल दिल्ली में हुई दुर्घटनाओं का विश्लेषण है। दिल्ली यातायात पुलिस ने वार्षिक रिपोर्ट में दुर्घटना के लिए अंग्रेजी के शब्द 'एक्सीडेंट' की जगह 'क्रैश' शब्द का प्रयोग किया है, जिसका पूर्व में शीर्षक दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं होता था। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि फुटपाथ से रेहड़ी पटरी वालों के अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए और इन्हें इसके लिए अलग से जगह उपलब्ध कराई जाए। इसमें कहा गया है कि सड़क का विस्तार कर सभी बस अड्डों पर बसों के रुकने के लिए अलग बस वे (बस के लिए रास्ता) होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि बस वे पर्याप्त रूप से इतने लंबे होने चाहिए कि वहां दो से तीन बस (आवश्यकता के अनुसार) रुक सकें और बस स्टैंड पर ग्रिल युक्त फाटक (जैसा कि मेट्रो स्टेशन पर अधिक भीड़ के मामले में होता है) होने चाहिए।

रिपोर्ट के मुताबिक पीरागढ़ी, सिंघू बार्डर, मुकरबा चौक, आइएसबीटी, धौला कुआं जैसे सभी प्रमुख चौराहों को सार्वजनिक परिवहन (डीटीसी, क्लस्टर बसों, रोडवेज बसों, ग्रामीण सेवा, आरटीवी, टीएसआर, रिक्शा, ई-रिक्शा और पैदल यात्री यातायात) की संरचना के अनुसार डिजाइन करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि आटो रिक्शा और ग्रामीण सेवा जैसे अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए एक अलग पड़ाव स्थान होना चाहिए तथा उन्हें अलग करने और उन्हें एक ही कतार में खड़ा करने के लिए एक रेलिंग प्रदान की जा सकती है।

रिपार्ट में कहा गया है कि पैदल यात्री बुनियादी ढांचे, फुट ओवर ब्रिज, सबवे, फुटपाथ और रुकने की जगह को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि मुख्य सड़कों पर पैदल चलने वालों की आवाजाही को रोका जा सके या इसे कम से कम किया जा सके।

नरेंद्र मोदी वैश्विक नेता : शाह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 सितंबर।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए शनिवार को कहा कि वे सुरक्षित, मजबूत व आत्मनिर्भर नए भारत के निर्माता और सेवा एवं समर्पण के प्रतीक हैं। देश के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के वडनगर में 17 सितंबर, 1950 को जन्म हुआ था।

शाह ने ट्वीट किया कि गरीब कल्याण, सुशासन, विकास, राष्ट्र सुरक्षा एवं ऐतिहासिक सुधारों के समांतर समन्वय से नरेंद्र मोदी ने मां भारती को पुनः सर्वोच्च स्थान पर आसीन करने के अपने संकल्प को धरातल पर चरितार्थ किया है। उन्होंने कहा कि यह मोदी के निर्णायक नेतृत्व और उस नेतृत्व में जनता के अटूट विश्वास के कारण ही संभव हो पाया है। शाह ने ट्वीट किया कि एक सुरक्षित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर नए भारत के निर्माता नरेंद्र मोदी का जीवन सेवा और समर्पण का प्रतीक है। आजादी के बाद पहली बार करोड़ों गरीबों को उनका अधिकार देकर मोदी ने उनमें आशा और विश्वास का भाव जगाया है। देश का हर वर्ग आज चट्टान की तरह मोदी के साथ खड़ा है।

कोरोना संक्रमण के 5,747 मामले आए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 सितंबर।

देश में एक दिन में कोरोना विषाणु संक्रमण के 5,747 मामले आए हैं। इसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 4,45,28,524 हो गई है। वहीं, इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 46,848 पर पहुंच गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह आठ बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 29 मरीजों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 5,28,302 हो गई। इनमें संक्रमण से मौत की पुष्टि के बाद केरल से दर्ज 13 मामले भी शामिल हैं।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
.....भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

मण्डल सस्त्रा केन्द्र, गुरूग्राम (डी नं. 823000)
प्लॉट नं. 5, इन्सटीट्यूशनल एरिया, सैक्टर–32, गुरूग्राम

कब्जा सूचना अचल सम्पत्ति हेतु नियम 8(1) देखें

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **पंजाब नैशनल बैंक**, का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार **1. मैसर्स महालक्ष्मी एसोसिएट्स, प्लॉट नं. 5, आईआईडीसी, सेक्टर–7, सिदकुल, पंत नगर, जिला उधम सिंह नगर, इसके पार्टनर्स द्वारा 2. श्री सुरेंद्र सिंह शेखावत (पार्टनर और गारंटर), एफसीए–25, गली नं. 2, मोहना रोड, वार्ड नं. 24, यादव कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद–121004 3. श्री संग्राम सिंह शेखावत (पार्टनर और गारंटर), एफसीए–25, गली नं. 2, मोहना रोड, वार्ड नं. 24, यादव कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद–121004 को मांग नोटिस दिनांक 17.05.2022 को जारी किया था, जिसमें बकाया राशि रू. 2,09,65,132.42 (रु. दो करोड़ नौ लाख पैंसठ हजार एक सौ बत्तीस और पैसे ब्यालीस मात्र) दिनांक 12.05.2022 तक और भविष्य का ब्याज, इत्यादि सहित** उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक **17.09.2022** को कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) / बंधककर्ता(ओं) का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पति के साथ कोई भी लेन–देन **पंजाब नैशनल बैंक, के प्रभार वास्ते बकाया राशि रू. 2,09,65,132.42 (रु. दो करोड़ नौ लाख पैंसठ हजार एक सौ बत्तीस और पैसे ब्यालीस मात्र) दिनांक 12.05.2022 तक और भविष्य का ब्याज, इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

सम्पत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक लीज होल्ड अधिकार के, भूमि एवं भवन जोकि प्लॉट नं. 5, सैक्टर–7, सिडकुल, पंत नगर–263153 में स्थित

दिनांक : 17.09.2022, स्थान : रूद्रपुर (यू.के.) प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः गुरुद्वारा रोड, निकट आपका बाजार, गुड़गाँव, हरियाणा–122001

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV [नियम-8(1)] देखें

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गुड़गांव शाखा के अधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) और 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, दिनांक 30.06.2022 को एक मांग नोटिस जारी कर उधारकर्ताः श्री दीपेश गोगिया प्रो. मैसर्स गोगिया ट्रेडर्स से नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 2,39,07,398/– (रुपये दो करोड़ उनतालिस लाख सात हजार तीन सौ अट्ठानबे रुपये) (जो 30/06/2022 को देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है), साथ ही 30/06/2022 से लेकर अब तक के ब्याज और अन्य शुल्क उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा है।

उधारकर्ता बैंक के पूरे बकाया का भुगतान करने में विफल रहा है, उधारकर्ता, गारंटर और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 16 सितम्बर, 2022 को इसके यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं एवं गारंटर और आम तौर पर जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ सौदा न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन करने पर राशि रु. 2,39,07,398/– (रुपये दो करोड़ उनतालिस लाख सात हजार तीन सौ अट्ठानबे रुपये) (जो 30.06.2022 को देय मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है), साथ ही 30.06.2022 से लेकर अब तक के ब्याज और अन्य शुल्क हेतु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गुड़गांव शाखा के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय कॉलोनी जो बरफखाना के नाम से अभिज्ञात, सिविल लाइन्स गुड़गांव, हरियाणा–122001 में स्थित एच. नं. 518/16 (पुराना नंबर 1/183) के माध्यम से आवासीय संपत्ति। (मापक्षेत्र–135 वर्ग गज) , चौहद्दी : उत्तरः सड़क , दक्षिणः राव जसवंत सिंह का घर, पूर्वः डॉ सरदारी लाल का घर , पश्चिमः डॉ सरदारी लाल का घर।

तिथिः 16.09.2022 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः गुड़गाँव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

Punjab & Sind Bank
जोन दिल्ली I, बी–38/39, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़ 1, नारायणा, नई दिल्ली–110028

शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र, दिनांक **28.08.2022** को इस समाचार पत्र में छपे ई–नीलामी जो कि **01.10.2022** को होना है, के संदर्भ में हैं जिसमें **क्रम सं. 9, श्रीमती नीतू एवं विजय कुमार** (शाखाः पीएसबी नया बाजार नई दिल्ली) के संपत्ति का कब्जा प्रकार भौतिक के स्थान पर सांकेतिक पढ़ा जाए।
अन्य विवरण यथावत रहेंगे।

दिनांकः 17.09.2022 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली पंजाब एण्ड सिंध बैंक

पंजाब नैशनल बैंक
.....धोखे का प्रतीक

मण्डल शस्त्रा, गाजियाबाद,
केजे–13, कविनगर, गाजियाबाद – 201001,
मोन : 8283810870, 9971720088,
ई–मेलः cs8228@pnb.co.in

शुद्धि पत्र

दिनांक **09.09.2022** को इस समाचार पत्र (जनसत्ता) में छपे विज्ञापन ई–नीलामी सूचना के संदर्भ में आम जनता को विशेष रूप से को सूचित किया जाता है कि उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटर **श्री मनोज कुमार पुत्र पूरन सिंह और श्रीमती सारिका पत्नी श्री धीरज (क्र.सं.6) के मामले में सम्पत्ति का विवरणः** फ्लैट नं. एफ–2, प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के) एच आई जी टाईप, प्लॉट नं. 222, तुराब नगर, गाजियाबाद में स्थित **के स्थान पर फ्लैट नं. एसएफ–1, द्वितीय तल (बिना छत के अधिकार के) एच आई जी टाईप, प्लॉट नं. 222, तुराब नगर, गाजियाबाद में स्थित पढा जाऐ।**
शेष खाते / विवरण पूर्वानुसार रहेंगी।

प्राधिकृत अधिकारी,
पंजाब नैशनल बैंक

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302004

No:- JDA/EE&TAtoDir.Engg.-II/2022/D-101 Dated:16.09.2022

NOTICE INVITING BID

NIB No. : EE & TA to Dir.Engg.-II/24/2022-23

Bids are invited for works given below in various zones as per details given below :-

S. No.	Zone	UBN No.	Cost of Work (Lacs)	A&F	Nature of Work	Last Date
1.	EE-Electric-IV	JDA2223WSOB00342	440.52	085/2016-17	Shifting and Dismantling of Existing HT/LT	10.10.2022
2	EE-PRN-S	JDA2223WSOB00336	206.18	189/2022-23	Repair of Road Cut Done by PHED Work	06.10.2022
3.	EE-PRN-S	JDA2223WSOB00337	290.87	188/2022-23	Repair of Road Cut Done by PHED Work	06.10.2022

Details are available at Procurement Portal website www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in and www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Raj. Samwad/C/2022-23/7883 Executive Engineer & TA to Dir.Engg-II

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

अंचल कार्यालयः दिल्ली साउथ
17, संसद मार्ग, 2रा तल, इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग, नई दिल्ली–110001

कार्पोरेट कार्यालयः 254–260,अव्वई शनमुगम सलाई, रोयापेट्टा, चेन्नई–600014

परिशिष्ट–IV–A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा इंडियन बैंक प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया है, की इण्डियन बैंक प्रतिभूत क्रेडिटर को देय बकाये की वूसली के लिए "जैसा है जहाँ है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर 21.10.2022 को बिक्री की जायेगी।

क्रम सं. 1 में वर्णित सम्पत्ति के लिये

ऋणधारक का नामः श्री गुरप्रीत सिंह, श्री बहादुर सिंह एवं श्री मोहिन्दर सिंह

गारंटर का नामः एन.ए **मार्टगेजर का नामः** श्री गुरप्रीत सिंह, बहादुर सिंह एवं श्री मोहिन्दर सिंह

शाखा का नामः लाजपत नगर–2, दिल्ली **कुल देयताः** रु. 20.95 लाख 23.08.2022

ई–नीलामी पद्धति द्वारा बिक्री के लिये लक्षित सम्पत्ति का विशिष्ट विवरण इस प्रकार है,

क्रम सं. 1

सम्पत्ति का विवरणः आवासीय मकान सं. आरजेड–214, गली नं. 18, खसरा नं. 523 का भाग, गुरुद्वारा तथा रिलायंस फ्रेश स्टोर के निकट, तुगलकाबाद एक्स्टें., नई दिल्ली–110019, एरिया 60 वर्ग यार्ड्स

कब्जा का प्रकारः सार्केतिक कब्जा	**सम्पत्ति पर अधिभारः** बैंक को ज्ञात नहीं
आरक्षित मूल्यः रु. 20.57 लाख	**ईएमडी राशिः** रु. 2.06 लाख
बोली वृद्धि राशिः रु. 0.10 लाख	**ई–नीलामी की तिथि एवं समयः** 21.10.2022, 11 बजे पूर्वा. से 5 बजे अप.
सम्पत्ति का आईडीः IDIB10289929652	

संविदाकारों को ऑनलाइन संविदा में भाग लेने के लिए हमारे ई–नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi देखने का परामर्श दिया जाता है। तकनीकी सहायता के लिए कृपया एमएसटीसी लि. के हेल्पडेस्क नं. 033–23400020/23400021/23400022 तथा सेवा प्रदाता के हेल्प डेस्क में उपलब्ध अन्य हेल्पलाइन नम्बरों पर सम्पर्क करें। एमएसटीसी लिमिटेड के साथ पंजीकरण की स्थिति के लिए कृपया **ibapiop@mstcecommerce.com** पर तथा ईएमडी स्थिति के लिए कृपया **ibapifin@mstcecommerce.com** पर सम्पर्क करें।
सम्पत्ति के विवरण तथा सम्पत्ति के फोटोग्राफ एवं नीलामी के नियम एवं शर्तों के लिए कृपया https://ibapi.in तथा इस पोर्टल से सम्बन्धित स्पष्टीकरण के लिए कृपया हेल्प लाइन नम्बर '18001025026' तथा '011–41106131' पर सम्पर्क करें।
संविदाकारों को वेबसाइट https://ibapi.in तथा www.mstcecommerce.com में सम्पत्ति की खोज करने का परामर्श दिया जाता है।

तिथि : 17.09.2022 स्थान : नई दिल्ली अधिकृत प्राधिकारी

(This is not a Prospectus Announcement. This is a Corrigendum Advertisement)

Varanium

VARANIUM CLOUD LIMITED

(CIN: U64200MH2017PLC303172)

Our Company was originally incorporated as a private limited company under the Companies Act, 2013 pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai dated December 21, 2017 with the name 'Streamcast Cloud Private Limited'. Subsequently, the name of our Company was changed to 'Varanium Cloud Private Limited' and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of the name was issued by the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra, on June 29, 2021. Subsequently, our Company was converted into a public limited company and the name of our Company was changed to 'Varanium Cloud Limited' and a fresh certificate of incorporation consequent upon conversion to public limited company was issued by the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra, on September 17, 2021. For details of changes in registered office please refer "History and Certain Other Corporate Matters' on page 104 of the Prospectus.

Registered Office: Third Floor, Plot No. 244-A RDP 2, CTS 1374/B Vill. Versova SVP Nagar, Four Bungalows Mumbai-400053, Maharashtra, India **Tel:** +91 22 2632 5683 / + 91 8976829903 **Website:** www.vrnm.com;
E-mail: info@vrnm.com **Contact Person:** Ms. Hetal Harshal Somani, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTER OF THE COMPANY: MR. HARSHAWARDHAN HANMANT SABALE

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 30,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10.00 EACH OF VARANIUM CLOUD LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THEISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹122 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹112 PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹3660 LAKHS ("THE ISSUE"). OF THE ISSUE, 4,86,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹592.92 LAKHS WILL BERESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKERRESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 25,14,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10.00 EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹122 PER EQUITYSHARE AGGREGATING TO ₹ 3067.08LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILLCONSTITUTE 29.85% AND 25.01%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHERDETAILS, PLEASE REFER "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 138 OF THE PROSPECTUS.

ATTENTION INVESTORS- CORRIGENDUM TO THE PROSPECTUS DATED SEPTEMBER 08, 2022

NOTICE TO INVESTORS

With regards to the News/Advertisements/ SMS/ Messages/ Articles and Videos, if any, being circulated in the digital media and/or print media, speculating about the investment opportunity in our Company's issue and about equity shares of our Company being available at premium and/or discount to the Issue price ("Message"). We wish to bring to attention of the investors that this Message has not been issued by our Company or any of our Directors, Key Managerial Personnel, Promoters, Promoter Group or Group Companies. The Message in circulation is misleading & fraudulent advertisement and issued by a third party to sabotage the IPO, our Company or any of our Directors, Key Managerial Personnel, Promoters, Promoter Group or Group Companies and the intermediaries are not involved in any manner whatsoever.

In relation to above, we wish to bring to attention of the investors that retail bidders, have option to withdraw their Bids till Tuesday, September 20, 2022 till 5:00p.m. (Issue Closing Date). Investors should further note that Bidding in the Issue is closes on Tuesday, September 20, 2022, and accordingly no further Bids will be accepted in the Issue. Any Bids, after the Bid/Issue closure will be rejected. The above mentioned option to withdraw can be exercised by submitting a request for the same to the concerned Designated Intermediary, who shall assist in such withdrawal of Bid cum Application Form, until the Issue Closing Date. Investors should note that the Indicative Issue Programme remains same as disclosed in the Prospectus dated September 08, 2022 and there is no change as on date of publishing this corrigendum.

Investors are advised to read the Prospectus (available at https://www.sebi.gov.in/filings/public-issues/sep-2022/prospectus-of-varanium-cloud-limited-sme-ipo_62898.html), including the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. Specific attention of the investors is invited to 'Risk Factors' on page 23.

Please note that capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meaning ascribed to them in the Prospectus dated September 08, 2022.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE PROSPECTUS, THE APPLICATION FORMS, THE ABRIDGED PROSPECTUS AND GENERAL INFORMATION DOCUMENT SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS CORRIGENDUM.

FOR **Varanium Cloud Limited**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
HARSHAWARDHAN HANMANT SABALE
Promoter Director

Place: Mumbai
Date: September 17, 2022

'VARANIUM CLOUD LIMITED 'is proposing, subject to market conditions, public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Mumbai. The Prospectus shall be available at the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, Stock Exchange at www.nseindia.com, Lead Manager at www.focl.in and the Issuer Company at : www.vrnm.com. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 20 of the Prospectus, which has been filed with ROC.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be Issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

Sunjeet Comm

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

कब्जा सूचना
(अचल/चल सम्पत्ति के लिए) (नियम–8(1))

जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अथोलिखित सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार/गारन्टर/बंधककर्ता का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है

क्र. सं.	(ए) शाखा का नाम/(बी) खाता का नाम/ (सी) ऋणी का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(ए) मांग नोटिस की तिथि (बी) सांकेतिक कब्जे की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार बकाया रकम
1.	(ए) शाखाः डीएवी शास्त्री नगर, मेरठ **(बी) मैसर्स ओम सिलेक्शन** **(सी)** मैसर्स ओम सिलेक्शन प्रोपराइटरशिप श्री सनी पुत्र श्री राजीव शर्मा, पताः दुकान नं0 47, नीलकंठ कॉम्प्लैक्स, ज्वाहर क्वाटर पैथ क्षेत्र, लाल कुर्ती, मेरठ- 250002, श्री सनी पुत्र श्री राजीव शर्मा **(ऋणी एंव बंधककर्ता), पता 1:** दुकान नं0 47, नीलकंठ कॉम्प्लैक्स, ज्वाहर क्वाटर पैथ क्षेत्र, लाल कुर्ती, मेरठ- 250002, **पता 2:** 107/281, प्रेम विहार कॉलोनी, माधव पुरम, मेरठ- 250002, श्रीमती दिव्या कौशीक पत्नी श्री सनी **(गारन्टर), पता 1:** 1786/6, इन्द्रा नगर 1, ब्रह्मपुरी, मेरठ- 250002, **पता 2:** 107/281, प्रेम विहार कॉलोनी, माधव पुरम, मेरठ- 250002, **पता 3:** दुकान नं0 47, नीलकंठ कॉम्प्लैक्स, ज्वाहर क्वाटर पैथ क्षेत्र, लाल कुर्ती, मेरठ- 250002	**प्राथमिक सम्पत्तिः** बंधक दुकान नं0 13, माप क्षेत्रफल 7.80 वर्ग मीटर अर्थात् 84 वर्ग फीट, सम्पत्ति म्यूनिसिपल नं0 जे-1/47, स्थित नीलकंठ कॉम्प्लैक्स, ज्वाहर क्वार्टर, पैठ क्षेत्र, लाल कुर्ती, मेरठ, सम्पत्ति स्वामी श्री सनी पुत्र श्री राजीव शर्मा। सीमाएँः- पूर्वः 7 फीट/ कृष्ण चन्द एवं अन्य की दुकान, पश्चिमः 7 फीट/9.25 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः 12 फीट/ दुकान नं0 12, दक्षिणः 12 फीट/ दुकान नं0 14 एवं अन्य।	(ए) 26.05.2022 (बी) 16.09.2022	रु0 **11,33,618.18** + ब्याज दिनांक 01.03.2022 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे
2.	(ए) शाखाः मेरठ कॉलेज, मेरठ **(बी) श्री अलीमुद्दीन पुत्र श्री शबुद्दीन** **(सी)** श्री अलीमुद्दीन पुत्र श्री शबुद्दीन **(ऋणी एंव बंधककर्ता),** पताः 334, पुरवा फैयाज अली, मेरठ- 250002, श्रीमती यासमीन पत्नी श्री अलीमुद्दीन **(सह-ऋणी एवं बंधककर्ता),** पताः 334, पुरवा फैयाज अली, मेरठ- 250002	**प्राथमिक सम्पत्तिः 1.** म्यूनिसिपल नं0 8/2, पुराना नं0 8 एवं 10 का भाग, मौहल्ला- पुरवा फैयाज अली, कोठी ठाकुर वाली, नगर निगम के सामने, मेरठ सम्पत्ति स्वामी श्रीमती यासमीन पत्नी श्री अलीमुद्दीन (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता), पताः 334, पुरवा फैयाज अली, मेरठ- 250002, माप क्षेत्रफल 20.06 वर्ग मीटर। सीमाएँः- पूर्वः 13 फीट 9 इंच/ क्वार्टर नगर निगम, पश्चिमः 13 फीट 9 इंच/ डिगरान मकान, उत्तरः 15 फीट 9 इंच/ बी0एम0 सिंह का मकान, दक्षिणः 16 फीट/20 फीट चौड़ा रास्ता कोना। **2.** बंधक मकान नं0 8 का भाग, पुरवा फैयाज अली, मेरठ, सम्पत्ति स्वामी श्री अलीमुद्दीन पुत्र श्री शाहबुद्दीन एवं श्रीमती यासमीन पत्नी श्री अलीमुद्दीन, माप क्षेत्रफल 66.90 वर्ग मीटर। सीमाएँः- पूर्वः 13 फीट 10.5 इंच/ नगर निगम की दीवार, पश्चिमः 13 फीट 10.5 इंच/ रास्ता, उत्तरः 51 फीट 10 इंच/ मकान नं0 8, दक्षिणः 51 फीट 10 इंच।	(ए) 18.05.2022 (बी) 16.09.2022	रु0 **45,95,147.72** + ब्याज दिनांक 01.03.2022 से + कानूनी एवं अन्य खर्चे

दिनांक–17.09.2022 स्थानः मेरठ प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

प्लॉट नं.80, ब्लॉक–बी, सैक्टर–49, नोएडा–201301(यू.पी.), फोनः 0120-4205333, ईमेलः n1513@psb.co.in

परिशिष्ट IV नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत **पंजाब एण्ड सिंध बैंक, सैक्टर–49, नोएडा, शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार और गारंटर श्रीमती कमलेश, श्री सरजीत कुमार, श्रीमती शकुंतला देवी, स्व. सुनील चौधरी (उधारकर्ता) **को मांग नोटिस दिनांक 23.05.2022 को जारी किया था, जिसमें सूचना में बकाया राशि रू. 2,22,18,825.55 (रु. दो करोड़ बाईस लाख अट्ठारह हजार आठ सौ पच्चीस और पैसे पच्चपन मात्र) और साथ में दिनांक 01.05.2022 से बैंक द्वारा मासिक दर ब्याज** उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 9 के साथ